बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान—सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना से प्राप्त अनुरोध एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में **Arbitration Award** के विरूद्ध एकमुश्त रू० 1,50,00,00,000/— (रूपये एक अरब पचास करोड़) मात्र के प्रावधान सहित कुल रू० 7,46,64,00,000/—(रूपये सात अरब छियालीस करोड़ चौसठ लाख) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में भुगतान हेतु रू० 1,50,00,00,000/—(रूपये एक अरब पचास करोड) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग के सकल्प संख्या—1/विविध—148/2009—255(1) दिनाक—25 03 2010 के द्वारा नालन्दा जिला में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान सस्थान, पावापुरी का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराने हेतु रू० 6,13,11,09,273/—(रुपये छ अरब तेरह करोड ग्यारह लाख नौ हजार दो सौ तेहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

पुन· निगम के पत्राक—631, दिनाक—30 09 2016 द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे कार्यों के पुनरीक्षण के उपरांत रू० 5,96,64,00,000/— मात्र का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या—85(1), दिनाक—30 01 2017 के द्वारा दी गयी।

2— ज्ञातव्य है कि उक्त योजना पूर्ण हो चुकी है एवं स्वीकृत राशि (रु० 596 64 करोड) भी निर्माण एजेन्सी को आवंटित की जा चुकी है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम मे इस कार्य के संवेदक के द्वारा Escalation मद के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के अस्वीकृत दावे के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे वाद दायर किया गया, जिसमें अन्तिम निर्णय एव विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय के आलोक मे Out of Court Settlement कर Arbitration Award की राशि के विरूद्ध एकमुश्त 150 00 करोड रुपये का भुगतान सवेदक को करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ मे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय पत्राक— 2011, दिनाक—15 07 2025 के द्वारा सवेदक से प्राप्त Undertaking समर्पित किया गया है कि एकमुश्त रू० 150 00 करोड के अतिरिक्त अन्य कोई दावा नही किया जायेगा। साथ ही प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि Arbitration & Conciliation Act 1996 की धारा 34 के तहत दायर अपील को उक्त राशि के स्वीकृति के पश्चात् वापस कर लिया जायेगा।

3— उक्त परिप्रेक्ष्य मे मत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान—सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना से प्राप्त अनुरोध एव प्राप्त विधिक राय के आलोक मे Arbitration Award के विरूद्ध एकमुश्त 150 00 करोड रुपये के प्रावधान सहित कुल रू० 7,46,64,00,000/— (रूपये सात अरब छियालीस करोड चौसठ लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या—259(7), दिनांक—28 08 2025 द्वारा दी गयी है। इस सदर्भ मे संवेदक को भुगतान किये जाने हेतु राशि की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के पत्राक—3043, दिनांक—24.09 2025 एव 3051, दिनाक—25 09.2025 द्वारा राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4— इस व्यय का वहन मॉग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान, 050 भूमि—0103—नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड—20—4210030500103, विषय शीर्ष—53 01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबधित राशि से किया जाएगा। इस विपत्र कोड अधीन वर्त्तमान मे राशि के उपबंध के कमी को देखते हुए Out of Court Settlement कर Arbitration Award की राशि के

विरूद्ध एकमुश्त 150.00 करोड रुपये का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करते हुए की जानी है। बी सी एफ की प्रविष्टि से पूर्व विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

5— उपरोक्त के आलोक मे वर्द्धमान आयुर्विज्ञान सस्थान—सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान सस्थान, पावापुरी, नालदा के निर्माण योजना मे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना से प्राप्त अनुरोध एव प्राप्त विधिक राय के आलोक मे Arbitration Award के विरूद्ध एकमुश्त रू० 1,50,00,00,000/—(रूपये एक अरब पचास करोड) मात्र के प्रावधान सहित कुल रू० 7,46,64,00,000/—(रूपये सात अरब छियालीस करोड चौसठ लाख) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक मे भुगतान हेतु रू० 1,50,00,00,000/—(रूपये एक अरब पचास करोड) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6— उक्त योजना एव बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति मत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक—03.10.2025 के मद सख्या—104 के रूप मे सम्मिलित किया गया है।

7— संकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या—01/विविध—36/2024 के रूप पृ0—53-57 टि0 मे प्राप्त है ।

8— यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4.10.25

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक—01/विविध—36/2024 - 341 (7) /पटना, दिनाक— 04/10/2025

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एव बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन एव सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य मत्री सचिवालय विभाग/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/मंत्रिमडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/जिलाधिकारी, नालदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7A,स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.10.25

सरकार के अपर सचिव।